दिनांक 29.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 46/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा ईद–उल फितर, रामनवमी पर्व एवं कानून–व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 29.03.2025 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ ईद–उल फितर त्योहार, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी पर्व, आरक्षी प्रशिक्षण एवं कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा गोष्ठी की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा गोष्ठी के दौरान मुख्यतः निम्नाकिंत बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश दिये गये।

- ईद–उल–फितर एवं रामनवमी त्यौहार के अवसर पर जनपद को सेक्टर व जोन में विभाजित करते हुए प्रत्येक सेक्टर व जोन में मजिस्ट्रेट एवं समकक्ष पुलिस अधिकारी की ड्यूटियॉ लगायी जाए तथा अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए।
- संवेदनशील स्थानो पर आवश्यक उपकरणों सहित रूफटॉप ड्यूटी लगायी जाये तथा कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार वर्नाकुलर हैण्डसेट उपलब्ध कराये जाए एवं समस्त Hot Spots को चिन्हित कर समुचित पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।
- बाजारों, भीड़–भाड़ वाले स्थानो एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आस–पास फुट पेट्रोलिंग की जाये तथा नियमित रूप से बीडीएस टीम, स्नाईफर डॉग्स द्वारा एण्टीसेबोटाज चेकिंग करायी जाये। बाजारों में पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था रखी जाये।
- नमाज के समय ईदगाहों/मस्जिदों के निकट आवागमन के मार्गों पर जानवरों का विचरण न होने पाये।
- यू0पी0–112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो/स्थलों पर किया जाय तथा पुलिस के अन्य पेट्रोलिंग वाहनों द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट्स/संवेदनशील स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रभावी गश्त/पेट्रोलिंग/चेकिंग करायी जाए।

- दंगा नियंत्रण योजना का पुनराभ्यास करा लिया जाय तथा सभी कर्मचारियों की **एण्टी राइड एक्यूपमेन्ट** के साथ ड्यूटी लगाई जाए। क्यूआरटी टीमों को स्ट्रेटेजिक प्वाइंट पर तैयारी की हालत में रखा जाय।
- ड्रोन कैमरों के माध्यम से मिश्रित/संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, जुलूस के मार्गों विशेषकर जंक्शन प्वाईण्ट्स आदि पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन आवश्यकतानुसार कराया जाये।
- शरारती एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उन पर निरंतर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा आवश्यकतानुसार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।
- पोस्टर पार्टी एवं मार्निंग चेकिंग टीम को सक्रिय किया जाय तथा उन्हें उनके दायित्वों से भली–भांति ब्रीफ कर दिया जाय। पोस्टर पार्टी को नियमित रूप से प्रातःकाल निकाला जाये।
- छोटी से छोटी सूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जाये।
- जनपदीय अभिसूचना तंत्र को सक्रिय रखा जाये। जनपद के समस्त कार्मिकों की ब्रीफिंग करते हुये समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/चौकी तथा बीट स्तर के कर्मियों को भी सचेत व सक्रिय कर दिया जाये।
- नियंत्रण कक्ष एवं उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जायें।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर और अधिक सतर्क दृष्टि रखते हुए 24X7 निरन्तर मॉनिटरिंग की जाये, असत्य एवं भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका खण्डन किया जाये तथा आवश्यक्तानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।
- चैत्र नवरात्रि के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्थल यथा अयोध्या, मिर्जापुर, बलरामपुर, वाराणसी आदि जहॉ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है वहॉ पर उच्च कोटि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य द्वार पर प्रवेश नियंत्रण और एण्टी सेबोटॉज चेकिंग की व्यवस्था की जाय।
- रामनवमी पर्व पर रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजार, भीड़–भाड़ वाले स्थानों, आयोजन स्थल, मनोरंजन के केन्द्र आदि पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाय तथा सभी सम्बंधित ड्रिल का पूर्वाभ्यास करा लिया जाये।

- रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी एवं आरपीएफ से समन्वय बनाते हुए निरंतर चेकिंग करायी जाय तथा आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन कराया जाए।
- बीट स्तर पर पुलिस कर्मियों को सक्रिय रखा जाए तथा बीट स्तर से प्राप्त आसूचनाओं का संकलन करते हुए उन पर गंभीरता से त्वरित कार्यवाही करायी जाए।
- सभी थानों के त्यौहार रजिस्टरों तथा आसूचना आख्याओं का परिशीलन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर सूक्ष्मता से कर लिया जाए। यदि इस त्यौहार को लेकर इस वर्ष कोई समस्या/तनाव दृष्टिगोचर हो तो उसका समाधान समय रहते संबंधित मजिस्ट्रेट के समन्वय से त्योहार से पूर्व ही करा लिया जाए।
- समस्त थाना क्षेत्रों के उक्त त्यौहार के दृष्टिगत TROUBLE SPOTS चिन्हित किये जाए तथा प्रत्येक TROUBLE SPOTS पर क्षेत्र के उपजिलामजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस उपायुक्त तथा थाना प्रभारी स्वयं मौके पर जाकर समस्याओं का निदान करायें तथा आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें।
- शान्ति समितियों/कार्यक्रम आयोजकों व धर्मगुरूओं की बैठकें वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में सम्पादित की जाए। सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट/उपजिलामजिस्ट्रेट/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारीगण एवं विद्युत, लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम आदि विभिन्न संबंधित विभागों के जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठकें करके त्यौहार के निर्वाध निष्पादन हेतु समन्वित कार्यवाही सम्पादित की जाए।
- गर्मी का मौसम एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत फायर कर्मियों को सक्रिय रखा जाय तथा फायर से सम्बन्धित एक्यूपमेन्ट को तैयारी हालत में रखा जाए।

उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

- उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय स्तर से निर्गत कार्ययोजना एवं पूर्व में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाये
- प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीक से दक्ष बनाने हेतु साइबर क्राइम, भौतिक साक्ष्य संकलन हेतु फॉरेन्सिक विषयों, तीन नये कानूनों की जानकारी सहित प्रशिक्षुओं के रहने आदि की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।
- प्रशिक्षु आरक्षियों के शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

दिनांक 29.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 47/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना रानीपुर

- **25 हजार रूपये पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 29.03.2025 को थाना रानीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड मऊ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रानीपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश कुमार निवासी पैढत थाना एका जनपद फिरोजाबाद।

जनपद कासगंज/थाना गंजडुण्डवारा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण**
- **लूट/चोरी के 01 लाख 58 हजार रूपये नगद**
- **लूट/चोरी के 02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.03.2025 को थाना गंजडुण्डवारा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहनपुर फाटक से ढपाली तिराहा के ओर जाने वाले रास्ते से 04 अभियुक्तों 1– शिशुपाल 2– राजू उर्फ हरपाल 3– मकरन्द 4– बौबी को

गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 01 लाख 58 हजार रूपये नगद, लूट/चोरी के 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त शिशुपाल के विरूद्ध जनपद एटा, फतेहगढ़, कासगंज, रामपुर, फिरोजाबाद, बरेली के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 02 दर्जन अभियोग, अभियुक्त राजू उर्फ हरपाल के विरूद्ध जनपद एटा, इटावा व कासगंज के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। थाना गंजडुण्डवारा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गंजडुण्डवारा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गंजडुण्डवारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शिशुपाल निवासी ग्राम बलहारपुर थाना सिढपुरा जनपद कासगंज हालपता–सवलपुर थाना पिसावा जनपद अलीगढ़।

2–राजू उर्फ हरपाल निवासी ग्राम बलहारपुर थाना सिढपुरा जनपद कासगंज हालपता–सवलपुर थाना पिसावा जनपद अलीगढ़।

3–मकरन्द निवासी ग्राम बलहारपुर थाना सिढपुरा जनपद कासगंज हालपता–सवलपुर थाना पिसावा जनपद अलीगढ़।

4–बौबी निवासी ग्राम नगला पटियन थाना सोरों जनपद कासगंज हालपता–सवलपुर थाना पिसावा जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 01 लाख 58 हजार रूपये नगद।

2–लूट/चोरी के 02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना कुबेरस्थान

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अदद मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29.03.2025 को थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सेमरा हरदो कठकुइयां ढाला रोड के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मनौव्वर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अदद मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनौव्वर निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अदद मोबाइल फोन।

3—नगद रूपये।

4—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कन्नौज/थाना गुरसहायगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 38 लाख 86 हजार रूपये कीमत के पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **72 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 29.03.2025 को थाना गुरसहायगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मझपुर्वा के पास से अभियुक्त 1—गुफरान को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर अभियुक्त 2—जाकिर 3—अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 38 लाख 86 हजार रूपये कीमत के पीली—सफेद धातु के आभूषण, 72 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना गुरसहायगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुरसहायगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध मे ंथाना गुरसहायगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुफरान निवासी ग्राम मझपूर्वा थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।

2—जाकिर निवासी ग्राम मझपूर्वा थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।

3—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लगभग 38 लाख 86 हजार रूपये कीमत के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—72 हजार रूपये नगद।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना बाराबंकी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 36 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 71 किलो 640 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 28.03.2025 को एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा सूचना के आधार पर मतरमपुर से भवानीगंज रोड, थाना सलोन जनपद रायबरेली से 02 अभियुक्तों 1—पंकज उर्फ विनय 2—अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 36 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 71 किलो 640 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सलोन, जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज उर्फ विनय निवासी कमालपुर थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।

2—अंकित निवासी कमालपुर थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1—लगभग 36 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 71 किलो 640 ग्राम अवैध गांजा।

2—02 मोबाइल फोन।

3—नगद रूपये।

4—01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 10 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन**
- **2700/—रूपये नगद**
- **01 कार बरामद**

दिनॉकः 29.03.2025 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर होण्डा ब्रिज के पास से अभियुक्त रमन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 10 ग्राम अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन, 2700/—रूपये नगद, 01 कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रमन कुमार निवासी गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—01 किलो 10 ग्राम अवैध अफीम।

2—01 मोबाइल फोन।

3—2700/—रूपये नगद।

4—01 कार।

➢ **जनपद हमीरपुर/थाना मुस्करा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मुस्करा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत 04

अभियुक्तों 1–देवनारायण 2–सुघर 3–चन्दू उर्फ चन्द्रपाल 4–प्रेम को आजीवन कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना दरियाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना दरियाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आशीष को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना राठ(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जगदीश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट/इनवेस्टमेंट, टास्क, गेमिंग, आदि तरीकों से की जा रही साइबर ठगी में प्रयोग होने वाले कार्पोरेट बैंक खाते किराये पर लेकर संचालित करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 06 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 28–03–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट/इनवेस्टमेंट, टास्क, गेमिंग, आदि तरीको से की जा रही साइबर ठगी में प्रयुक्त होने वाले कर्पोरेट बैंक खाते किराये पर लेकर संचालित करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 06 अभियुक्तों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. अब्दुल मलिक पुत्र अब्दुल बकी निवासी ग्रांम ब्रहमचारी पो0 व थाना मेंहदावल जिला संतकबीर नगर हाल पता फ्लैट न0 103 प्रथम तल खूबसूरत अपार्टमेंट नियर डीएम कम्पाउंड लालबाग हजरतगंज लखनऊ। (सरगना) षिक्षा– 12वीं।
2. आयुष मिश्रा पुत्र रणविजय मिश्रा निवासी म0न0 751 उत्तरी जटेपुर थाना शाहपुर जिला गोरखपुर हाल पता द्वारा चंदन सिंह फ्लैट न0 1106 डी ब्लाक सरस्वती अपार्टमेंट थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ। षिक्षा बीटेक।
3. याषीन अहमद उर्फ यासिर पुत्र रफीक अहमद निवासी महरानीगंज घोसियाना स्टेशन रोड गोंडा हाल पता द्वारा हैदर अब्बास 55/56 आलोक नगर कल्यानपुर थाना गुडम्बा लखनऊ। शिक्षा– 10वीं।
4. सैयद आलिम हुसैन पुत्र सैयद आरिफ हुसैन निवासी मोहल्ला राधा कुंड नियर चौक थाना को0 नगर गोंडा हाल पता 521 एलआईजी कालोनी नियर डीसीएम स्कूल जमालपुर थाना जमालपुर लुधियाना पंजाब। षिक्षा– बीबीए।
5. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बालकिषोर निवासी करकसा थाना डलमऊ जिला रायबरेली हालपता आनन्द लोक कालोनी सेमरा थाना चिनहट लखनऊ। षिक्षा– एमबीए
6. विजय कुमार पाठक पुत्र संतोष कुमार पाठक निवासी ग्राम पठकौली पो0 विजयीपुर थाना केराकत जिला जौनपुर हालपता– 568–ख/108 गीतापल्ली थाना आलमबाग लखनऊ। शिक्षा–पीएचडी।

बरामदगी–

1– 11 अदद मोबाइल फोन।
2– 18 अदद डेबिट/क्रेडिट कार्ड।
3– 02 अदद चेकबुक।
4– 01 अदद ब्लैक चेक।
5– 03 अदद आधार कार्ड।
6– 03 अदद पैन कार्ड
7– 01 अदद डीएल ।
8– 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
9– 52 पेज WhatsApp के स्क्रीनषाट जिसमें साइबर अपराध करने से सम्बन्धित एपीके फाइल, चैटिंग व कार्पोरेट बैंक खातों की जानकारी है।
10– रूपये 34,500/– (चौंतीस हजार पांच सौ मात्र) नकद।
11– 02 अदद कार (यूपी 32 जीबी 1001 हुंडई वरना, यूपी 32 जेजे 6888 हुंडई I20)

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–</u> स्थानः आधार कार्ड आफिस के पास, गाडफादर कैफे के सामने विभूतिखण्ड लखनऊ। दिनांकः 28–03–2025 समय : 23:50 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट/इनवेस्टमेंट, टास्क, गेमिंग, आदि तरीको से की जा रही साइबर ठगी में प्रयुक्त होने वाले कार्पोरेट बैंक खाते किराये पर लेकर संचालित करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि थाना साइबर क्राइम लखनऊ में एटेक्ष इन्नोवेषन प्रा0लि0 आईटी सैल्यूषन कम्पनी लखनऊ द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया कि मेरी कम्पनी के विस्तार व वार्षिक टर्नओवर बढाने के लिए आयुष मिश्रा के माध्यम से मलिक अंसारी टेलीग्राम आईडी– @malik_ansari_0 पर सम्पर्क हुआ जिसने बताया कि उसकी कम्पनी के पास पेमेंट आउटसोर्सिंग के वैध दस्तावेज और प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं। उसके बाद अब्दुल मलिक द्वारा कम्पनी के बैंक खाते की जानकारी मांगी गयी और कम्पनी के बैक खातें से लिंक मोबाइल नम्बर वाले मोबाइल में एपीके फाइल के माध्यम से एक साफ्टवेयर डाउलोड कर दिया गया इसके बाद बैंक खाते में लगभग 48 लाख रूपये आये फिर लगभग 3200 ट्रांजक्षन के माध्यम से ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद कम्पनी का बैंक खाता बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया बैंक से पता करने पर पता चला कि यह साइबर ठगी का रूपया था जो कम्पनी के बैंक खाते में आया था। इसके बाद अब्दुल मलिक से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो सम्पर्क नही हो पाया। जिससे कम्पनी को लगा कि उनके साथ बडा साइबर फ्राड हो गया है।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेषज्ञता के आधार पर विष्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 28–03–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त संगठित गिरोह के सरगना सहित 06 अभियुक्तों को विभूतिखण्ड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों व गैंग के सरगना अब्दुल मलिक से पूछताछ में पता चला कि अब्दुल मलिक वर्ष 2017 में संतकबीर नगर से इंटरमीडिएट करने के बाद लखनऊ में नीट की तैयारी करने के लिए आया। 03 वर्षों तक प्रयास करने पर भी वह नीट में सफल नही हुआ। इसी बीच उसकी लखनऊ में कई लोगों से मित्रता हो गयी वह लखनऊ में रहने लगा। वर्ष 2022 में उसकी मुलाकात शुभम ठाकुर नामक व्यक्ति से हुई

जो खुद को शेयर मार्केट का बडा ट्रेडर बताता था। शुभम ने मलिक को बताया कि उसके साथ काम करने व इनवेस्टमेंट करने पर वह रू 1 लाख पर 12 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से फायदा देता है। फायदे के लालच में आकर मलिक द्वारा खुद से लोन लेकर लगभग 10 लाख रूपये व अपने जानने वालों के लगभग 50 लाख रूपये शुभम को ट्रेडिंग करने के लिए दिये गये। दो माह तक फायदा देने के बाद शुभम सारे रूपये लेकर भाग गया। कर्ज अधिक हो जाने व लोगों द्वारा अपना रूपया वापस मांगने के कारण मलिक द्वारा साइबर क्राइम कर रूपये कमाने का प्रयास किया जाने लगा। इसी क्रम में वर्ष 2024 में थाना छितवापुर में अब्दुल मलिक पर मु0अ0सं0 145/2024 पंजीकृत हुआ जिसमें मलिक व उसके गिरोह द्वारा एनजीओ के माध्यम से लगभग 15 लाख रूपये की ठगी गयी थी। सितम्बर–2024 में मलिक की मित्रता लखनऊ के फरहान से हुई। फरहान ने मलिक को जैकी पूना व डेनियल काठमांडू नेपाल से सोषल मीडिया के माध्यम से जोडा और कम समय में साइबर क्राइम कर रूपये कमाने के लिए कार्पोरेट बैंक खातों की जानकारी व बैंक खाता धारकों को मैनेज कर उनके बैंक खातों की जानकारी साझा करने पर मोटा कमीषन देने की बात हुई। इसके बाद मलिक अपने मित्र आयुष मिश्रा, याषीन अहमद, सैयद आलिम, पुष्पेन्द्र सिंह आदि के साथ मिलकर ठगी का काम करने लगा। फील्ड से कार्पोरेट बैंक खाता धारकों को ढूढकर उनकों मोटा कमीषन का लालच देकर उनकी बैंक खाते की किट, एटीएम कार्ड, चेक बुक, रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर सिम कार्ड, इंटरनेट बैंकिग का यूजर आईडी पासवर्ड, कार्पोरेट आईडी, क्यूआर कोड आदि लेकर मलिक तक पहुचाने का काम गैंग के अन्य सदस्य करने लगे। गैंग के सदस्य बैंक खाता धारक के साथ होटल में रूकते थे फिर मौका पाकर उसके मोबाईल में एपीके फाइल के माध्यम से मैसेज फारवर्ड करने का साफ्टवेयर डाउनलोड कर देते थे। फिर अब्दुल मलिक, डानियल काठमांडू नेपाल, फरहान निवासी इंदिरा नगर लखनऊ जैकी निवासी पूना आदि के माध्यम से साइबर ठगी की प्रक्रिया पूरी कर पब्लिक के साथ साइबर ठगी का काम कर अवैध रूप से धन अर्जित करने लगे।

इसी क्रम में दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को इस गिरोह द्वारा एटेक्ष इन्नोवेषन प्रा0लि0 आईटी सैल्यूषन कम्पनी लखनऊ का टर्नओवर बढाने का झांसा देकर कम्पनी के आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या– 353005000965 को अनाधिकृत तरीके से एपीके फाइल के माध्यम से साफ्टवेयर डाउनलोड कर संचालित कर रू 47,58,968/– की साइबर ठगी की गयी। इसके बाद इस गिरोह द्वारा जनवरी 2025 में टेलीग्राम पर निलेष यादव बिहार के नाम की आईडी पर सम्पर्क कर इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्पोरेट बैंक खाता किराये पर लिया गया था इसके बाद डेनियल काठमांडू नेपाल ने उस बैंक खाते को संचालित कर लगभग 1 करोड 20 लाख की साइबर ठगी की थी। जिसमें भी इस गिरोह को मोटा कमीषन मिला था। इस गिरोह से बरामद इलेक्ट्रानिक डिवाइसों के प्रथम दृष्टयः परीक्षण से 10 कार्पोरेट बैंक खातों की डिटेल प्राप्त हुई जिनका प्रयोग इस

गिरोह द्वारा साइबर ठगी मे किया गया है– खाता संख्या– 924020049641238–UTIB0001878, खाता संख्या – 120031505045-CNRB0005319, खाता संख्या– 7967476832- INDIAN BANK, खाता संख्या – 42018377283 SBIN0006212, खाता संख्या– 50100430427402-HDFC0003843, खाता संख्या – 2502422765508126- AUBL0004227, खाता संख्या– 10184252817- IDFC FRIST BANK, खाता संख्या – 40920200000645- BOB उपरोक्त बैंक खातों की जानकारी राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) से प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त गिरोह के विरूद्व देष में साइबर क्राइम की 25 अन्य षिकायतें भी दर्ज हैं।

गिरोह के सदस्य अब्दुल मलिक से कडाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आज हम लोग यहां पर एक्सिस बैंक के कार्पोरेट खाता संख्या 924020049641238 जो कि विजय कुमार पाठक का है जिसको कल से डेनियल काठमांडू नेपाल द्वारा आपरेट किया जा रहा है के माध्यम से ठगे गये रूपयों से प्राप्त कमीषन को बांटने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों द्वारा कई कार्पोरेट बैंक खातों को अनाधिकृत तरीके से एक्सिस कर आपरेट किया गया हैं जिनमें डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट, इनवेस्टमेंट, टास्क फ्राड, गेमिंग, जुआ, आदि तरीकों से साइबर ठगी का रूपया आया था जिसका हम लोगों को मोटा कमीषन मिला है।

अभियुक्त द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जोयेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0सं0 51/2025 धारा 318 (4), 319 (2) 111 (2) ख भारतीय न्याय संहित व 66सी सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम थाना साइबर क्राइम लखनऊ में दाखिल कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

———————